भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

"एनडीएमए भवन",

ए–1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली – 110029.

सं० 1–137/2018–प्रश.–**II**(एफटीएस–10548) दिनांक : 14 अप्रैल, 2020

<u>आदेश</u>

24 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उपाय करने का निर्देश दिया, ताकि देश में कोविड–19 को फैलने से रोका जा सके। ये उपाय 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों के लिए लागू किए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(I) के तहत समय–समय पर विस्तृत दिशानिर्देशों और परिशिष्ट जारी किए गए।

2 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए एक और अरिक्ति अवधी के लिए सख्त सामाजिक दूरी उपायों को चालू करने की आवश्यकता है, राष्ट्रीय प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को सामाजिक दूरी के लिए समान उपायों को 3 मई, 2020 तक जारी रखने के लिए निर्देश देता है। प्राधिकरण एनईसी को यह भी निर्देश देता है कि कोविड–19 को फैलने से रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखने हुए, आवश्यकतानुसार दिशानिर्देशों में संशोधन जारी करें।

सदस्य सचिव, एनडीएमए

सेवा में :–

केंद्रीय गृह सचिव,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001.